ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः छा० क०– 119/25 दिनांक 04/09/2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः– चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) सत्र 2025–29 (सी0बी0सी0एस0) में ऑनलाईन ऑन–स्पॉट नामांकन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र– 2025–29 मे नामांकन हेतु ***ऑनलाईन ऑन–स्पॉट*** नामांकन हेतु चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट (www.lnmu.ac.in) पर जारी कर दी गयी है। अभ्यर्थी अपना चयन–पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाईट से आवेदन आई–डी (Application I.D) एवं जन्म तिथि (Date of Birth) या यूजर आई डी (ई–मेल) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि ***ऑनलाईन ऑन–स्पॉट*** नामांकन हेतु चयन सूची से ***दिनांकः– 08.09.2025 से 10.09.2025 तक*** अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में नामांकन लिया जाय।

प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि जिन विषयों में सीट रिक्त है उन सीटों को अनारक्षित मानते हुए सभी कोटि के अभ्यर्थियों का रिक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची को निरस्त मानते हुए उक्त चयन–पत्र के आधार पर नामांकन नहीं लिया जायेगा। केवल स्पॉट राउण्ड के तहत डाउनलोड किये हुए चयन–पत्र के आधार पर हीं नामांकन लिया जाय। स्पॉट राउण्ड के तहत डाउनलोडेड चयन–पत्र एवं नामांकन हेतु सभी आवश्यक कागजातों की जाँचोपरान्त हीं अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। नामांकन से संबंधित अन्य बातें पत्रांक– छा0क0– 78 / 25 दिनांक– 03.07.2025 पत्र के अनुरूप यथावत रहेंगी।

नोटः–

1. ***प्रधानाचार्य नामांकित अभ्यर्थियों का डैस–बोर्ड पर दिनांक– 11.09.2025 के 2:00 बजे अपराह्ण तक निश्चित रूप से अपडेट कर लेंगे, जिन अभ्यर्थियों के नामांकन को महाविद्यालय द्वारा Dash Board पर ऑनलाईन के माध्यम से अंतिम रूप से Update नहीं किया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नामांकन हेतु महाविद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए।***

4/9/25

ऑनलाईन ऑन–स्पॉट चयन सूची के आधार पर लिये गये नामांकन के उपरान्त रिक्त सीट पर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत सीट से अधिक नामांकन नहीं लेंगे, अगर सीट से अधिक नामांकन लेते है तो राज्यादेश का उल्लंघन माना जायेगा एवं इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी जायेगी एवं वैसे अभ्यर्थी का किसी भी परिस्थिति में पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।

2. *प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं ऑनलाईन ऑन–स्पॉट सूची में नामांकन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का नामांकन निरस्त होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों की सूची दिनांक–11.09.2025 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।*
3. *राज्य सरकार के दिशा–निर्देश* के आलोक में सभी कोटि की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं से नामांकन संबंधी शुल्क नहीं लिया जाना है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

04/9/25

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण

4/9/25